सीआरडब्लूसी लि0–सीएसआर एवं एसडी नीति

1. संकल्पनाः

1.1 संक्षिप्त नाम तथा प्रयोज्यता

यह नीति निगमित निकाय के रूप में अपने दायित्व का वहन करने एवं सामाजिक रूप से उपयोगी गतिविधियों/परियोजनाओं को चलाने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने हेतु बनाई गई है तथा इसका संक्षिप्त नाम "सीआरडब्लूसी, सीएसआर एवं एसडी नीति" है।

यह नीति सीआरडब्लूसी के निगमित कार्यालय सहित इसके सभी टर्मिनलों तथा स्थानों अथवा समाज के विभिन्न वर्गों के लाभ के लिए सीआरडब्लूसी लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा निर्णित किसी भी अन्य स्थान के लिए लागू होगी। इस प्रकार अनुमोदित सामाजिक परियोजनाएँ समाज के लाभ के लिए देश में किसी भी स्थान पर परिचालित की जा सकती हैं।

2. सीएसआर एवं एसडी की दूरदृष्टि तथा उद्देश्यः

2.1 दूरदृष्टि

समाज, अंशधारकों अन्य हितधारकों तथा समुदायों के हित में मूल्य सर्जन हेतु प्रतिबद्ध होकर कार्य करने के लिए समाज के संधारणीय विकास तथा पर्यावरण–संरक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियाँ हाथ में लेना तथा इस दिशा में पहल करना।

2.2 उद्देश्य

सीएसआर–एसडी नीति के क्रियान्वयन का उद्देश्य 3 कारकों (जनता, पृथ्वी तथा लाभ) के बीच स्वस्थ संबंधित स्थापित करना है।

अपने सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए संगठन के सभी स्तरों पर प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करना तथा अपना व्यवसाय आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय विकास के मद्देनजर चलाना।

निगमित कार्यालय सहित सभी टर्मिनलों तथा स्थानों अथवा समाज के विभिन्न वर्गों के लाभ के लिए सीआरडब्लूसी लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा किसी अन्य स्थान पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारित समय के लिए ऐसे कार्यक्रम हाथ में लेना जिनसे स्थानीय जनता के जीवन की गुणवत्ता तथा आर्थिक स्थिति में सुधार सुनिश्चित हो सके।

सीएसआर एवं एसडी पहलों द्वारा एक निगमित निकाय के रूप में कम्पनी की सकारात्मक छवि को मज़बूत करते हुए समाज के सभी वर्गों के लोगों के दिलों में जगह बनाना।

3. **वित्त पोषण एवं आबंटन :**

निगमित सामाजिक दायित्व एवं संधारणीयता हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग के नए दिशा निर्देशों के अनुसार (1 अप्रैल 2013 से लागू)

3.1 निवल लाभ के प्रतिशत के रूप में बोर्ड के संकल्प माध्यम से सीएसआर एवं एसडी बजट निम्नलिखित विधि द्वारा सृजित किया जाएगाः—

पूर्व वर्ष में केन्द्रीय लोग उद्यम का कर पश्चात लाभ	सीएसआर एवं एसडी एवं संधारणीयता गतिविधियों के लिए बजटीय आबंटन का रेंज (पूर्व वर्ष के कर पश्चात लाभ के % के रूप में)
• 100 करोड़ रूपए से कम	• 3% से 5%
• 100 करोड़ रूपए से 500 करोड़	• 2% से 3%
• 500 करोड़ तथा ऊपर	• 1% से 2%

टिप्पणी : कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीआरडब्लूसी लि0 पूर्व वर्ष के कर पश्चात लाभ की कम से कम 2% राशि सीएसआर एवं संधारणीय विकास के लिए आबंटित करेगी।

3.2 वर्ष दर वर्ष आधार पर बजट आबंटन से निम्नलिखित व्ययशीर्षों के लिए प्रावधान किया जाएगाः—

i. पीने के पानी की सुविधा
ii. शिक्षा
iii. सौर प्रकाश प्रणाली
iv. स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य
v. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना
vi. प्राकृतिक विपदा जैसे भूकंप, तूफान, सूखा तथा बाढ़ पीड़ितो को राहत

3.3 किसी वर्ष विशेष के लिए व्यय न किया/प्रयोग न हुआ आबंटन अगले वर्ष में अग्रेनीत किया जाएगा। यदि सीएसआर एवं एसडी बजट का पूरा उपयोग नहीं किया जाता है तो, सीएसआर तथा एसडी गतिविधियों के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए सीआरडब्लूसी द्वारा नियोजित बजट का पूरा उपयोग न किए जाने के सीआरडब्लूसी को कारण बताने होंगे।

3.4 लोक उद्यम विभाग द्वारा पहली, अप्रैल 2013 को सीएसआर एंड एसडी नीति के संबंध में जारी विस्तृत संशोधित दिशा निर्देश **अनुलग्नक–I** पर दिए गए हैं।

नए कम्पनी बिल, 2013 के अनुसारः–

3.5 सीएसआर एवं एसडी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सीआरडब्लूसी लि. पूर्व तीन वर्षों के दौरान औसत **निवल लाभ** का 2% आबंटित करेगी।

3.6 यदि कम्पनी, सीएसआर पर दो प्रतिशत व्यय नहीं कर सकेगी तो उसे बोर्ड रिपोर्ट में इसके लिए कारणों को स्पष्ट करना होगा।

3.7 नीचे उदृत कम्पनी बिल की अनुसूची VII के अनुसार, सीआरडब्लूसी निम्नलिखित में से किसी एक गतिविधि को हाथ में लेगी।

- अत्यधिक भूखमरी तथा गरीबी
- शिक्षा संवर्धन
- शिशु मृत्यु दर घटाना तथा मातृत्व स्वास्थ्य को बेहतर बनाना
- एचआईवी, एडस, मलेरिया तथा अन्य रोगों का मुकाबला करना
- पर्यावरण संधारणीयता सुनिश्चित करना
- रोजगार बढ़ाने संबंधी व्यावसायिक कुशलताएँ बढ़ाना
- सामाजिक व्यवसाय परियोजनाएँ
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान
- सामाजिक आर्थिक विकास तथा राहत के लिए केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित निधि तथा अन्य एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यकों तथा महिलाओं के कल्याण के लिए राहत तथा निधियाँ।
- अन्य मामले जो निर्धारित किए जाएँ।

4. **क्रियान्वयन :**

4.1 सीएसआर एवं एसडी कार्यक्रम यथा संभव उपर्युक्त पहचान किए परिभाषित क्षेत्रों में सीआरडब्लूसी के निगमित कार्यालय/विभिन्न परिसरों/प्रभागों/मंडल कार्यालयों/जिला कार्यालयों/वर्क सेंटरों द्वारा हाथ में लिए जायेंगे।

4.2 कोई कार्यक्रम विशेष कितनी अवधि तक चलाया जाएगा, वह कार्यक्रम की प्रकृति, कवरेज तथा उसके संभावित प्रभाव पर निर्भर करेगा।

4.3 वे कार्यक्रम जिनमें काफी वित्तीय प्रतिबद्धता शामिल होगी तथा 2–5 वर्ष तक चलाए जायेंगे उन्हें 'प्रमुख कार्यक्रम' माना जाएगा तथा उन्हें अधिक महत्व दिया जाएगा।

4.4 सीएसआर एवं एसडी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के दौरान सीआरडब्लूसी देश के एक पिछड़े जिले तथा एक पर्यावरण संधारणीयता परियोजना को हाथ में लेगा।

4.5 जहाँ तक संभव होगा, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों स्थानीय प्रशासन तथा केन्द्र सरकार के विभाग, एजेंसियों स्वयं सहायता समूहों को सीआरडब्लूसी की पहल के साथ सहयोजित स्थापित किया जाएगा।

4.6 सीएसआर एवं एसडी नीति के अन्तर्गत पहचान की गई परियोजना गतिविधियाँ जिन्हें, विशेषीकृत एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा उनमें स्वयंसेवी संगठन, औपचारिक एवं अनौपचारिक स्थानीय निकाय जैसे पंचायत, संस्थान/शैक्षिक अर्ध सरकार/स्वायत्र संगठन, महिला मंडल व्यावसायिक परामर्श संगठन अथवा अन्य किसी साधन जिसे सीआरडब्लूसी का प्रबंधन द्वारा निर्णित किया जाएगा, चलाई जायेगी।

4.7 सीएसआर एवं एसडी कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में निम्नलिखित बिन्दु शामिल होंगे–

4.7.1 निगमित तथा वर्क सेंटर द्वारा निम्नलिखित के माध्यम से कार्यक्रमों की पहचानः–

क) व्यावसायिक संस्थानों/एजेंसियों द्वारा किए गए अध्ययन के माध्यम से उत्पन्न आवश्यकता

ख) स्थानीय स्तर पर अन्तर कार्यात्मक टीम द्वारा आंतरिक आवश्यकता निर्धारण

ग) जिला प्रशासनों/स्थानीय प्रशासनों से प्राप्त प्रस्ताव

घ) स्थानीय प्रतिनिधियों/नागरिक निकायों/नागरिक मंचों/स्वैच्छिक संगठनों प्रतिनिधियों से चर्चा तथा अनुरोध

ड.) कम्पनी द्वारा अन्य किसी प्रकार से पहचान किए गए प्रस्ताव

च) महिलाओं तथा दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए प्रस्ताव

4.7.2. परियोजना आधारित प्रस्तावः सीआरडब्लूसी लि0 का निगमित कार्यालय/परिसर/प्रभाग/मंडल कार्यालय/क्षेत्रीय/ जिला कार्यालय/वर्क सेंटर सीएसआर एवं एसडी परियोजनाओं की लम्बी अवधि संधारणीय पर बल देने के लिए परियोजना आधारित दायित्व अप्रोच का अनुसरण करेंगे जहाँ कार्य योजना को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाएगाः–

लघु अवधि	: एक वर्ष तक
मध्य अवधि	: 1 वर्ष से 2 वर्ष
लम्बी अवधि	: 2 वर्ष तथा ऊपर

लम्बी अवधि के कार्यक्रमों की पहचान करते समय जहाँ तक संभव हो सके, निम्नलिखित को परिभाषित किया जाएः–

क) कार्यक्रम के उद्देश्य

ख) आधारिक सर्वेक्षणः– यह एक आधार प्रदान करेगा जिसके अनुसार कार्यक्रम के परिणामों का मापन किया जा सकेगा।

ग) कार्यक्रम के प्रगति स्थलों के लिए समय–सीमा को निर्धारित करने की आवश्यकता होगी।

घ) उत्तरदायित्व एवं प्राधिकारी

ड.) प्रत्याशित प्रमुख परिणाम तथा मापन योग्य निष्कर्ष

च) परियोजना क्रियान्वयन/पूर्णता का मूल्यांकन

5. अनुमोदन की शक्तियाँ :

सीएसआर एवं एसडी कार्यक्रमों की पहचान बोर्ड स्तर की सीएसआर एवं एसडी समिति की उप समिति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में की जाएगी।

6. क्रियान्वयन एजेंसी/भागीदार :

सीआरडब्लूसी सीएसआर एवं एसडी नीति के उद्देश्यों के अनुसार क्रियान्वयन के उपयुक्त प्रस्तावों का चयन करेगी तथा इन कार्यक्रमों के माध्यम से हितधारकों तथा समुदाय को लाभ पहुँचाएगी। ये कार्य निम्नलिखित माध्यम से क्रियान्वित किए जायेंगे।

- समुदाय आधारित संगठन–औपचारिक तथा अनौपचारिक
- निर्वाचित स्थानीय निकाय जैसे पंचायत
- स्वैच्छिक एजेंसियाँ (एनजीओ)
- संस्थाएँ/शैक्षणिक संगठन
- ट्रस्ट, मिशन
- स्वयं सहायता समूह
- सरकारी, अर्धसरकारी तथा स्वायत्त संगठन

- स्टैण्डिंग कांफ्रेस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजिज (स्कोप)
- महिला मंडल/समितियाँ
- सिविल कार्यों के लिए संविदा एजेंसियाँ
- व्यावसायिक परामर्शदात्री संगठन
- अन्य

7. मॉनीटरिंग एवं फीडबैक :

प्रत्येक वर्क स्टेशन द्वारा हाथ में लिए सीएसआर एवं एसडी कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वर्क स्टेशन द्वारा मॉनीटरिंग की व्यवस्था की जाएगी। सीआरडब्लूसी का निगमित कार्यालय, सभी टर्मिनलों तथा स्थानों तथा अन्य कोई स्थान, जिसे सीआरडब्लूसी के प्रबंध द्वारा सुनिश्चित किया गया है, कार्यक्रम के संबंध में लाभार्थियों से फीडबैक प्राप्त करेगा।

सीआरडब्लूसी लि0 की नीति का उचित प्रलेखीकरण, वार्षिक सीएसआर गतिविधियाँ, क्रियान्वित करने वाले भागीदारों तथा होने वाले व्यय का ब्यौरा नियमित आधार पर निगमित कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

सीएसआर एवं एसडी पहलों की सूचना कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में भी दी जाएगी।

8. भूमिका एवं उत्तरदायित्व

1	सीएसआर एवं एसडी आंतरिक समिति	सीएसआर एवं एसडी आंतरिक समिति परियोजना (ओं) योजना (ओं) का मूल्यांकन कर अनुमोदन प्रक्रिया के पश्चात निदेशक के अधीन सीएसआर एवं एसडी समिति के समक्ष अपनी सिफारिशें रखेगी।
2	निदेशकों की सीएसआर एवं एसडी समिति	यह समिति, सीएसआर एसडी समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी तथा बोर्ड के अनुमोदन हेतु सिफारिश करेगी।
3	निदेशक मंडल	निदेशक मंडल अनुमोदन के लिए सीएसआर एवं एसडी समिति की सिफारिशों पर विचार करेंगी

9. कार्पोरेट सीएसआर एवं एसडी तथा एसडी विभाग :

कार्पोरेट सीएसआर एवं एसडी विभाग सीएसआर तथा एसडी योजना विकसित करने तथा दिशा–निर्देश बनाने, आंतरिक निष्पादन की निगरानी रखने, सीआरडब्लूसी कार्पोरेट कार्यालय, सभी टर्मिनलों तथा स्थानो एवं अन्य स्थान जिसे सीआरडब्लूसी लि0 द्वारा निर्णित किया जाएगा, को सामान्य सहायता प्रदान करेगा।

कार्पोरेट सीएसआर एवं एसडी विभाग कार्पोरेट स्तर पर बाहरी रिपोर्टिंग तथा अन्य कम्पनियो, संस्थानों तथा संगठनों के साथ तत्संबंधी जानकारी तथा दक्षता प्राप्त करने के लिए संबंध स्थापित करेगा।